यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी के माह दिसंबर 2017 से अक्टूबर 2018 तक के लेखा अभिलेखो की जांच श्री श्रवण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.11.18 से 06.12.18 तक श्री ए. सी. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित किया गया।

भाग-1

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरिंदम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री दयाशंकर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.12.2017 से 29.12.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी जिसमें माह 10/2016 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2017 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग आदि के उत्थान के लिए विभिन्न पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी अनुदान एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाना है। इसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरकाशी जनपद है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	-	-	82.13	74.81	7.32	2809.07	2723.80	85.27
2016-17	-	-	76.94	72.52	4.42	2691.53	2663.96	27.57
2017-18	-	-	87.67	80.10	7.57	3474.43	2969.10	505.33
2018-19 (up to 11/2018)	-	-	105.43	70.77	-	1536.05	1258.54	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

योजना का नाम	2016-17		2017-18		2018-19 (up to 11/2018)	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	387.16	387.16	359.31	350.18	157.66	142.48
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	119.11	81.72	64.25	64.12	56.50	27.27
अनुसूचित जन जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	8.74	8.74	13.27	8.34	7.50	0
अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति	85.94	13.06	63.51	41.03	39.21	0

(iii) इकाई को बजट आवंटन भारत सरकार एवं निदेशक समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई (अ) श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन → निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन → जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छातृवृत्ति योजना, शादी विवाह अनुदान एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनाओं का विश्लेषण किया गया। योजनाओं का चयन किये गए व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (DPC Act, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II (अ)

प्रस्तर-1: वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत ₹189.50 लाख का अनियमित भुगतान।

वृद्धावस्था पेंशन विस्तार एवं प्रक्रिया सरलीकरण के लिए जारी उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 1547/36-चार 1990 दिनांक 30 मार्च 1990 के बिन्दु-2 के अनुसार ऐसे मामले जहां पति/पत्नी दोनों पेंशन के लिए पात्र है वहाँ नए प्रकरणों में पति-पत्नी में से केवल एक को ही वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य की जायेगी और ऐसे मामलों में महिला सदस्य को प्राथमिकता दी जायेगी। उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 17 जून 2016 के अनुसार भी पति-पत्नी में से केवल एक को ही वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य की जायेगी और ऐसे मामलों में महिला सदस्य को प्राथमिकता दी जायेगी। योजनान्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान अप्रैल 2011 से ₹400/- प्रतिमाह, जनवरी 2014 से ₹800/- प्रतिमाह तथा जून 2016 से ₹1000/- प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी वृद्धावस्था पेंशन के अभिलेखों की नमूना जांच में विकास खण्ड मोरी, नौगांव एवं पुरोला के अन्तर्गत BPL-ID के आधार पर स्वीकृत पेंशन अभिलेखों को जांच की गयी। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि शासनादेश के उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत संलग्न विवरण के अनुसार 341 मामलों (मोरी: 188 नौगांव: 128 एवं पुरोला: 28) में पति-पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गयी थी एवं दोनों को वर्तमान तक पेंशन का भुगतान किया जा रहा था **(सूची संलग्न)** जबकि शासनादेशों के अनुसार पति-पत्नी में से केवल एक को ही वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिये था। इस प्रकार इकाई द्वारा अपात्र लाभार्थी (पति) को पेंशन स्वीकृत किए जाने के कारण उसकी स्वीकृति की तिथि से वर्तमान तक (सितंबर 2018) ₹189.50 लाख (मोरी: ₹99.50 लाख नौगांव: ₹75.02 लाख एवं पुरोला: ₹14.98 लाख) का अनियमित भुगतान किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि जनपद के अंतर्गत सभी विकास खण्डों में ऐसे लाभार्थी जिनमें पति –पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, का सत्यापन कार्य गतिमान है। सत्यापन के उपरांत अपात्र लाभार्थी (पति) की वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योकि अधिकांश मामलों में अपात्र लाभार्थी को वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान 84 माहों से लगातार किया जा रहा है जबकि शासनादेशों में स्पष्ट कहा गया है कि पति-पत्नी में से केवल एक को ही वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य की जायेगी एवं पत्नी को प्राथमिकता दी जायेगी।

अतः वृद्धावस्था पेंशन मद में अपात्र लाभार्थी को पेंशन स्वीकृत किए जाने के कारण ₹189.50 लाख के अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर संख्या :1- बीएड के 16 छात्रों को निर्धारित छात्रवृति से रुपये 36800/- की कम छात्रवृति प्रदान किया जाना

अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृति निर्धारित दरों एवं मानकों के आधार पर दी जाती है जो कि दिनांक 01 जुलाई 2010 से प्रभावी है। दशमोत्तर कक्षाओ में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति के अतिरिक्त शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संबन्धित कोर्स हेतु शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों का भुगतान अनावर्तीय सहायता के रूप में विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी व्यावसायिक प्रशिक्षणों यथा मेडिकल, इंजीनियरिग, प्रबंधन, बी.एड. इत्यादि कोर्सेज में छात्रों को शिक्षण संस्थान को अदा किए जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा निर्धारित दर से की जाती है।

शासन द्वारा छात्रवृति स्वीकृति एवं भुगतान हेतु निम्नानुसार वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है।

- सर्वप्रथम छात्रवृति की धनराशि का भुगतान शासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत छत्रों को किया जाएगा ।
- उक्त के उपरांत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृति की धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
- उसके उपरांत जिन छात्रों का प्रवेश काऊसिलिंग के माध्यम से हुआ हो उन छात्रों को छात्रवृति का भुगतान किया जाएगा।
- अशासकीय विद्यालयों के छात्रों तथा व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत ऐसे छात्र जिनका प्रवेश मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत हुआ हो, ऐसे छात्रों को धन की उपलब्धता के आधार पर निर्धंतम छात्र से प्रारम्भ करते हुए अवरोही क्रम में छात्रवृति का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
- छात्रवृति/ फीस प्रतिपूर्ति का सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य में अध्ययनरत पात्र छत्र को किया जाएगा तदोपरांत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उत्तराखंड राज्य से बाहर अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृति का भुगतान सुनूश्चित किया जाएगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी की अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृति से संबन्धित अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में राजकीय स्नातोकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी में अध्ययनरत 16 बी.एड. के छात्रों **(सूची संलग्न)** को रु.40300/- (35000/-शिक्षण शुल्क +5300/-छात्रवृत्ति) प्रति छात्र की दर से छात्रवृति दी जानी थी जबकि कार्यालय द्वारा मात्र रु.38000/- प्रति छात्र (35000/-शिक्षण शुल्क+3000/-छात्रवृत्ति) की दर से छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी थी इस प्रकार कार्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र को रु. 2300/- कम छात्रवृति प्रदान की गयी।

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा लेखा मत की पुष्टि कराते हुए अवगत कराया कि उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

अतः बी.एड. के 16 छात्रों को निर्धारित छात्रवृति से रु.36800/- की कम छात्रवृति प्रदान किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर संख्या :2 पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत दो लाभार्थियों को रु.40000/- का अनियमित भुगतान।

The assistance under the National Family Benefit Scheme (NFBS) of NSAP is applicable only for persons belonging to Below Poverty Line (BPL) category. Rs. 20000/- will be given as one time assistance to the bereaved household in the event of death of the bread-winner. A woman in the family, who is a home maker, is also considered as a „bread-winner‟ for this purpose. The family benefit will be paid to such surviving member of the household of the deceased poor, who after local enquiry, is found to be the head of the household. For the purpose of the scheme, the term "household‟ would include spouse, minor children, unmarried daughters and dependent parents. In case of death of an unmarried adult, the term household would include minor brothers/ sisters and dependent parents. The death of such a bread-winner should have occurred whilst he/she is more than 18 years of age and less than 60 years of age.

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी की वर्ष 2017-18 की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबन्धित पत्रावलियों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार दो लाभार्थियों के BPL श्रेणी में न होने के बावजूद भी उनको योजना का लाभ प्रदान किया गया था जो नियमानुसार नही था।

क्रम संख्या	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	प्रदान की गई धनराशि
1	श्रीमती अनीता देवी	स्व0 दिनेश सिंह	भारतीय स्टेट बैंक	33542680245	20000/-
2	श्रीमती सुशीला देवी	स्व0 भोलु सिंह	भारतीय स्टेट बैंक	34653531356	20000/-
योग					**40000/-**

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि उक्त दोनों लाभार्थियों से BPL-ID प्राप्त कर लेखा परीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि कार्यालय द्वारा लाभार्थी की पात्रता सुनिश्चित किये जाने से पूर्व ही योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान कर दिया गया था जो अनियमित था।

अतः पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत दो लाभार्थियों को रुपये 40000 का अनियमित भुगतान किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर संख्या 3: 5334 छात्रों को छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रखा जाना

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 95/XVII-4/2017-01(82)/2014 दिनांक 16 फरवरी 2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 से विभगीय दशमोत्तर छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन भारत सरकार के पोंटल (http://scholarships.gov.in) के माध्यम से किये जाने के संबंध में आदेश निम्न तालिका के अनुसार निर्गत किये गये थे।

कम संख्या	प्रकियात्मक कार्यवाही	निर्धारित अंतिम तिथि
1.	छात्र–छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु online आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना	15.02.2018
2.	संबंधित शिक्षण संस्था के द्वारा प्राप्त आनलाईन आवेदन पत्रों कों जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जाना।	28.02.2018
3.	संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से निरस्त किये जाने वाले आवेदन पत्रों की तिथि।	15.03.2018
4.	संबंधित छात्र–छात्रा द्वारा पुनः त्रुटि ठीक कर आवेदन पत्र को समाज कल्याण विभाग को प्रेषित करने की तिथि।	15.03.2018
5.	संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जॉच जिलाधिकारी द्वारा कराया जाना।	15.03.2018
6.	संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा ई0 बिल तथा पात्र छात्र–छात्राओं की सूची संबंधित कोषाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना।	25.03.2018
7.	संबंधित कोषाधिकारी द्वारा पात्र छात्रों के सीबीएस खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क का स्थानान्तरण किया जाना।	31.03.2018

उक्त आदेश के क्रम में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी के दशमोत्तर छात्रवृति संबंधित पत्रावलियों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2017–18 हेतु कुल 5334 छात्रों द्वारा पंजीकरण किया गया था। उक्त छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि 31 मार्च 2018 तक उक्त आदेश के क्रम में उपलब्ध करा दी जानी चाहिए थी जिसके लिए शासन द्वारा पूर्ण धनराशि कार्यालय को उपलब्ध करा दी गयी थी परंतु कार्यालय द्वारा वर्तमान (12/2018) तक कुल पंजीकृत छात्रों के सत्यापन का कार्य ही पूर्ण नही किया गया था।

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखा परीक्षा मत की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि छात्रों के आवेदन पत्रों का कार्य गतिमान है। सत्यापन के उपरान्त ही संबंधित छात्रों को छात्रवृति वितरित की जायेगी। उत्तर मान्य नही था क्योंकि उक्त शासनादेश के अनुसार छात्रों को मार्च 2018 तक छात्रवृति प्रदान कर दिया जाना चाहिए था।

अतः वर्ष 2017–18 के 5334 छात्रों को छात्रवृति न वितरित किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-4- तीन से पाँच वर्षों पूर्व पूर्ण किए जा चुके निर्माण कार्यों से संबन्धित ₹ 53.81 लाख की अवशेष धनराशि कार्यालय स्तर पर बैंक खाते में अनियमित रूप से अवरुद्ध रखा जाना।

कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य जो तीन से पाँच वर्षों पूर्व पूर्ण किए जा चुके थे, से संबन्धित ₹ 53.81 लाख की धनराशि कार्यालय स्तर पर बैंक खाते में अनियमित रूप से अवरुद्ध रखी गयी थी:

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रा. अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त धनराशि	वर्ष के दौरान व्यय की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि	स्वीकृत निर्माण कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए निर्माण कार्यों की संख्या	अपूर्ण निर्माण कार्यों की संख्या	निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अवशेष धनराशि
2013-14	-	102.60	91.68	10.92	14	13	01	7.31	3.61
2014-15	-	657.54	643.25	14.29	50	50	00	0.00	14.29
2015-16	342.90	685.85	684.59	345.21	45	42	02	16.10	35.91
2016-17	345.21	0.00	227.53	117.68	00	00	00	0.00	0.00
2017-18	117.68	137.53	108.96	146.25	10	01	09	68.78	0.00
योग								92.19	53.81

उक्त अनियमितता के संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि ऐसे निर्माण कार्य जो तीन से पाँच वर्ष पूर्व पूर्ण किए जा चुके, से संबन्धित अवशेष धनराशि ₹ 53.81 लाख जो बैंक खाते में कई वर्षों से अवरुद्ध है, को विभागीय प्राप्ति लेखा शीर्ष में शीघ्र ही जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा उक्त विसंगति के सम्बन्ध में की गयी स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि कार्यालय स्तर पर तीन से पाँच वर्षों पूर्व पूर्ण किए जा चुके निर्माण कार्यों से संबन्धित ₹53.81 लाख की अवशेष धनराशि बैंक खाते में अनियमित रूप से अवरुद्ध रखी गयी है।

अतः कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी स्तर पर ₹53.81 लाख की अवशेष धनराशि बैंक खाते में अनियमित रूप से अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 5 : बजट के अभाव के कारण लाभार्थियों को किसान पेंशन का लाभ प्रदान न किया जाना।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 15 अगस्त 2014 से किसान पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी थी जिसके अन्तर्गत ऐसे किसान जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो तथा जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि न हो एवं उनके द्वारा कृषि का कार्य किया जाता हो, को ₹.800/- प्रतिमाह (जून 2016 से ₹1000/- प्रतिमाह) किसान पेंशन दिया जायेगा। किसान पेंशन योजना के पात्र लाभार्थी को किसी अन्य स्रोत से पेंशन देय नहीं होगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी की किसान पेंशन योजना से संबन्धित पत्रावली की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 1611 लाभार्थी पंजीकृत थे जिनमे से मात्र 91 लाभार्थियों को ही चतुर्थ किश्त का भुगतान किया गया है। शेष लाभार्थियों को वर्तमान तक चतुर्थ किश्त का भुगतान नहीं किया गया था एवं लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्तमान तक एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया गया था जबकि माह सितंबर 2018 तक द्वितीय किश्त का भुगतान कर दिया जाना चाहिये था।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि बजट के अभाव में किसान पेंशन योजना का भुगतान समय से किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि योजना के लाभार्थियों को विगत एक वर्ष से योजना के लाभ से वंचित रखा गया है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों से संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित पस्तरों का विवरण निम्नवत है:

प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर	भाग-दो (ब) प्रस्तर	प्रतिपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
10/2011-12	01-05	01 से 03	-
131/2014-15	01	01 से 04	01 से 02
82/2016-17	-	01 से 06	-
159/2017-18	1	01 से 05	01

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों में से प्रतिवेदन संख्या 159/2017-18 की अनुपालन आख्या जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, हल्द्वानी को प्रेषित की गयी है जिसकी प्रति लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत की गयी। उक्त प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी के स्तर पर गतिमान है। अतः कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रस्तर निस्तारित किए जाने की संस्तुति नहीं की जा सकती है। शेष बकाया प्रस्तरों के सम्बन्ध में इकाई द्वारा बताया गया कि अनुपालन आख्या शीघ्र ही प्रेषित की जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी तथा उनके कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री जीत सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी	01.12.2017 से 31.03.2018
2.	श्री महीधर सिंह तोमर	जिला समाज कल्याण अधिकारी	01.04.2018 से 01.08.2018
3.	सुश्री हेमलता पाण्डेय	जिला समाज कल्याण अधिकारी	02.08.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार (सामाजकि क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकर भवन, कौलगढ़, देहरादून** को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र